THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) As on 31-12-1986, there were about 3.33 lakh fair price shops in the country of which 70 were mobile shops.

(b) The commodity coverage and quantum of essential commodities to be distributed by the fair price shops are determined by the respective States/UTs, after taking into consideration factors such as demand in the area, previous offtake etc.

(c) guidelines have already been issued to the States/UTs to open new fair price shops to provide easy physical access to consumers and to make necessary financial/physical arrangements for improvement of infrastructural facilities such as storage and transportation of essential commodities to fair price shops in rural, backward, remote and inaccessible areas. The Central Government is also providing financial assistance to States/UTs for introducing mobile fair price shops in rural, far-flung, hilly, inaccessible, remote and desert areas.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के गन्दी बस्ती विभाग की नेबरहुड स्कीम

2366. **श्री शान्ति त्यागी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के 27 हजार लोगों की 10 करोड़ रुपये की धनराशि, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के गंदी बस्ती विभाग द्वारा नेबरहुड स्कीम के अधीन इकट्ठी की गई थी बैंकों में पड़ी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन व्यक्तियों को जिन्होंने पहले ही पैसा जमा करा दिया है फ्लैट कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विभाग द्वारा फ्लैटों के लिये आवास पंजीकरण योजना के अन्तर्गत रु० 8,30,80,600 की राशि एकत्र की गई थी ।

(ख) सभी पात्र आवेदकों को लगभग 3–4 वर्षों के समय में रिहायशी फ्लैट आवंटित किये जाने की संभावना है ।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

2367. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से उन कालोनियों के नाम क्या हैं जिन्हें 1979–80 के दौरान और आज तक अधिकृत कालोनी घोषित गया है ;

(ग) क्या फरवरी, 1977 और दिसम्बर, 1978 के दौरान ऐसी कालोनियों को अधिकृत घोषित करने के मानदंडों/आधारों में कोई परिवर्तन किया गया था ;

(घ) क्या कालोनियों को अधिकृत करने संबंधी समिति ने अभी हाल ही में कुछ और अधिक कालोनियों को अधिकृत घोषित करने की सिफारिश की है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कालोनियों के नाम क्या हैं तथा उनके संबंध में निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) 1977–78 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली में 607 अनधिकृत कालोनियां थी इनमें से संलग्न सूची के अनुसार 539 कालोनियां नियमित कर दी गई है । **[देखिए** परिशिष्ट CXLII, अनुपत्र सं 121 तथा 122]

(ग) जी, नहीं

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Maintenance of Parks in Naraina Vihar

2368. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that maintenance/developments of parks in Naraina Vihar, New Delhi are almost neglected totally by the concerned civic authority;

(b) the total number of parks being maintained in Naraina Vihar, New Delhi and how many persons are engaged permanent/temporary for the maintenance of these parks;

(c) whether Central Government are aware that the Labour engaged permanent/temporary for maintenance/Development of these parks in Naraina Vihar, are also working in the factories nearby; and

(d) if so, what remedial steps are proposed in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Harassment of the employees of NDDB/IDC

2369. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the harassment of personnel of IDC/NDDB by the top management, if so, the corrective steps taken in this regard;

(b) whether Government propose to refer these cases *suo moto* to Central Administrative Tribunal;

(c) whether Government also propose to reopen and review cases of harassed employees; and

(d) whether Government also propose to refer the mismanagement of personnel to Committee on Public Undertakings?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

गौ रक्षा

2370. **श्री रामसिंह भाई पातलिया भाई राठवा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गौ रक्षा के संबंध में विभिन्न धर्माचारियों संस्थानों और विशिष्ट व्यक्तियों से 1 जनवरी 1986 और 27 अप्रैल, 1987 के बीच ठोस प्रस्ताव के संबंधित कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) देश में गोवंश की हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) अन्य बातों के अनुरोध के साथ-साथ गौ-हत्या निषेध के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ) गो-पशु संरक्षण का विषय, ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधान मंडलों का है और तदनुसार कई राज्य सरकारों ने गोपशु तथा उसकी संतति के वध को रोकने के लिए उचित कानून अपनाए हैं ।